न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 480/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मांगीलाल पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी पुरखापुरा तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 6/2016 अनवान मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जी.आर.गोरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम पुरखपुरा तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 28/126 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 73/128 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 78/133 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 111/135 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 111/136 रकबा 04 बीघा, खसरा नंबर 113/143 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नंबर 113/149 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध मे भू प्रबंध विभाग द्वारा अभी हाल मे ही सेटलमेंट किया जाकर उक्त भूमि का पर्चा प्रार्थी के नाम जारी किया गया जिसमे खसरा नंबरान का रकबा, भूमि की किस्म इत्यादि दर्ज है तथा उपरोक्त पर्चा मे बताया गया रकबा पूर्व से ही चला आ रहा है । मगर सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल ही मे किये गये सेटलमेंट मे उपरोक्त खसरान मे से खसरा नंबर 113/143 का नक्शा मोमी ट्रेस मे नाप कम रकबे का दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरे का नाम पैमाना स्केल से निकाला जाने पर क्षेत्रफल मात्र 06 बीघा ही बनता है, जो बिल्कुल गलत होने से उसकी शुद्धिकरण करने बाबत निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ठीके से देखे बिना एवं अपीलांट अधिवक्ता को सुने बिना मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारीज कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व शिविर मे मौके की रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का जोलियाली, आर.आई. केरू तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 मे यह उल्लेख करते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है कि " वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार मौजा पुरखपुरा व जोलियाली के खसरा नंबर 191/2 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2060–63 के खाता संख्या 32 पर रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा ही दर्ज एवं मौके पर भी उक्त भूमि का रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा ही स्थित है । भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी नक्शा अनुसार इसमे रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा ही जारी नक्शे मे कम होना बताया है । उक्त नक्शा भू प्रबंध विभाग द्वारा पेमाना एवं माप के आधार पर ही तैयार किया जाता है, उक्त विभाग द्वारा ही नक्शे मे शुद्धि की जा सकती है, इस न्यायालय स्तर पर नक्शे मे किसी प्रकार की शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होगा ।"

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण लंबे समय तक न्यायालय मे पेशियां केवल सील/मोहर लगा कर बदलते रहने से तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही निर्णय पारित किया होने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हो पाई । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते ही अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील की है जिसे स्वीकार करने तथा अधीनसथ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 को अपास्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी, आर.आई एवं तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर उसके अनुरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुद्धि योग्य नही होने से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट/प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू

राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट जिसमे वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार मौजा पुरखपुरा व जोलियाली के खसरा नंबर 191/2 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2060—2063 के खाता संख्या 32 पर रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही दर्ज एवं मौके पर भी उक्त भूमि का रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा स्थित है । भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी नक्शा अनुसार इसमे रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा ही जारी नक्शे मे कम होना बताया है । उक्त नक्शा भू प्रबंध विभाग द्वारा पेमाना एवं माप के आधार पर ही तैयार किया जाता है इसलिए सेटलमेंट विभाग द्वारा ही नक्शे मे शुद्धि की जा सकने का विवेचन देते हुए अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11—7—2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25—10—2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर